कोटा के सातलखेड़ी में 1284 वोटों से जीतीं शांति देवी, हथियाखेड़ी में 5 वोट से फैसला, जानिए किसे सबसे ज्यादा वोट मिले

सीएम बोले- कांग्रेस ने तो सेना को भी नहीं छोड़ा

कभी चुनाव आयोग, कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, इन्होंने समाज तोड़ने का काम किया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बीजेपी के लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत कोटा से पदयात्रा रैली शुरू की। इस दौरान सीएम ने कहा- कांग्रेस ने लोकतंत्र को माना ही नहीं। समाज को तोड़ने का काम किया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। चुनाव में जब परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है और जब पक्ष में नहीं आता है तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। सीएम ने कहा- वोट जनता डालती है, लेकिन कांग्रेस जहां जीतती है वहां ईवीएम को सही मानती है और जहां हारती है वहां गड़बड़ बताती है। कांग्रेस ने तो सेना को भी नहीं छोड़ा। कभी चुनाव आयोग और कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा- उनके शासन में सत्ता संघर्ष के दौरान 4 महीने तक विधायक होटलों में बंद रहे। वन स्टेट, वन इलेक्शन पर ये कहते थे कि काकाजी भी एक साथ चुनाव नहीं करवा सकते। काकाजी ने करवा दिए। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। 1. कांग्रेस ने किसी भी संस्था को नहीं छोड़ा सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा- ऐसी कौनसी संस्था है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाया। कभी सेना, कभी चुनाव आयोग और कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। मोदी जी कहते हैं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। जो खाया है, वह निकाल लूंगा। जब निकालने की बात आती है तो संस्थाओं पर सवाल उठाते हो। 2. हर 3 महीने में आचार संहिता लगाकर पैसा बर्बाद किया मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा- उनके शासन में सत्ता संघर्ष के दौरान 4 महीने तक विधायक होटलों में बंद रहे। पंचायत और निकाय चुनाव दो-दो साल तक खिंचवाए गए और हर 3 महीने में आचार संहिता लगाकर जनता का पैसा बर्बाद किया गया। सीएम ने कहा- %वन स्टेट, वन इलेक्शन% पर ये कहते थे कि काकाजी भी एक साथ चुनाव नहीं करवा सकते। काकाजी ने करवा दिए। 3. भाजपा सरकार में 410 परीक्षा हुईं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ भजनलाल शर्मा ने कहा- भाजपा सरकार के शासन में 410 परीक्षाएं हुईं, लेकिन एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। पहले के मामलों में करीब 600 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 1.92 लाख युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जबकि 1.18 लाख प्रक्रियाधीन हैं। सवा लाख पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में 265 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी निलंबित किए। करीब 700 पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, कुछ मामलों में पेंशन रोकी गई और कुछ को बर्खास्त किया गया। 4. कांग्रेस बैलेट पेपर से भी डरी हुई है सीएम ने हाल ही में हुए रू चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए कहा- कांग्रेस बैलेट पेपर से भी डरी हुई है और उसे जीरो सीटें मिली है। स्क्रूरू पर किसी को आपत्ति हो तो तथ्यों और प्रमाणों के साथ सक्षम प्राधिकरण के सामने रखें। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल निर्वाचन आयोग के जवाबी हलफनामे का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नाम जोड़ने-घटाने का अधिकार ईआरओ के पास है।

पंजाब यूनिवर्सिटी बनी मलखंभ चैंपियन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 8 टीमों ने किया क्वालीफाई

कोटा विश्वविद्यालय एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से मेजर ध्यानचंद खेल संकुल में आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मलखंभ (पुरुष) प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। टीम स्पर्धा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। मुंबई यूनिवर्सिटी ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत और प्रदेश की एसआरएम यूनिवर्सिटी ने तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में शीर्ष आठ में स्थान बनाने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी, केबीपी यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे, एसआरएम यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए क्वालीफाई किया। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के परिणाम रोप मलखंभ- मुंबई यूनिवर्सिटी के शर्दुल ने प्रथम (स्वर्ण), सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे के कृष्णा आंबेकर ने द्वितीय (रजत) और केबीसी विश्वविद्यालय जलगांव के चेतन ने तृतीय (कांस्य) स्थान प्राप्त किया। पोल मलखंभ- आरजीपी यूनिवर्सिटी भोपाल के देवेन्द्र पाटीदार ने प्रथम (स्वर्ण), काव्यात्री यूनिवर्सिटी के चेतन भूषण ने द्वितीय (रजत) और एसआरएम यूनिवर्सिटी के यतिन कोरी ने तृतीय (कांस्य) स्थान हासिल किया। ऑल राउंड चैंपियनशिप- पंजाब यूनिवर्सिटी के मोहित सिंह प्रथम रहे। एसआरएम यूनिवर्सिटी के यतिन कोरी द्वितीय और सत्यभामा विश्वविद्यालय के कंवी रोहित साईराम तथा आरजीपी यूनिवर्सिटी के देवेंद्र पाटीदार संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। भोजन को लेकर खिलाड़ियों ने जताया रोष ँ समापन के दिन खिलाड़ियों ने गुणवत्ताहीन खाने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। बीमार होने पर कुछ खिलाड़ियों को अस्पताल ले जाना पड़ा। आयोजन सचिव डॉ. विजय सिंह ने बताया कि उत्तर और दक्षिण भारत के खिलाड़ियों की खान-पान संबंधी पसंद अलग होने से यह स्थिति बनी। भविष्य में राज्यवार भोजन व्यवस्था की जाएगी। समापन समारोह में ये रहे शामिल ँ समारोह में मुख्य अतिथि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलगुरु प्रो. युद्धवीर सिंह, विशिष्ट अतिथि उद्यमी ताराचन्द गोयल और कोटा सीबीएसई स्कूल सहोदय कॉम्प्लेक्स के डॉ. प्रदीप सिंह गौड़ शामिल रहे। मंच पर एआईयू द्वारा नियुक्त स्वतंत्र पर्यवेक्षक योगेश मालवीय, वित्त नियंत्रक संजय कुमार मीणा और टैक्निकल हेड गोपाल सिंह सिसोदिया शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. चमन तिवारी ने किया तथा डॉ. मूलचन्द शर्मा ने आभार व्यक्त किया। अंतर विश्वविद्यालय मलखंभ (पुरुष) प्रतियोगिता में विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी टीम।

बढ़ते कदम

कोटा। जिले में दूसरे चरण में दो पंचायत समितियों की 47 ग्राम पंचायतों में रातभर सरपंच पद के लिए काउंटिंग हुई। खैराबाद और चेचट पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के चुनाव में कहीं बड़ी जीत दर्ज हुई तो कहीं प्रत्याशियों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। खैराबाद पंचायत में शांति देवी को सबसे ज्यादा वोट मिले खैराबाद पंचायत समिति की 23 ग्राम पंचायतों में से सातलखेड़ी ग्राम पंचायत में शांति देवी ने 1284 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। वहीं, चेचट पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों मेंसे सोहनखेड़ा में उर्मिला मालव सबसे बड़े अंतर से सरपंच निर्वाचित हुईं। दूसरी ओर, खैराबाद की बुरनखेड़ी में महज 8 और चेचट की हथियाखेड़ी में केवल 5 वोटों से हार-जीत का फैसला हुआ। जीत के बाद



जश्न मनाते समर्थक। जीत के बाद जश्न मनाते समर्थक। खैराबाद पंचायत समिति की 23 ग्राम पंचायतों में सबसे बड़ी जीत सातलखेड़ी ग्राम पंचायत में हुई। यहां शांति देवी 1284 वोटों से जीतकर सरपंच बनीं। शांति देवी को 3564 वोट मिले जबकि नीलम कुमारी 2280 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। यहां सरपंच पद के लिए 6 उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में भाग्य आजमाया था। बुरनखेड़ी ग्राम पंचायत में 8 वोट से हुआ हार-जीत का फैसला बुरनखेड़ी ग्राम पंचायत में 8 वोट से हार जीत का फैसला हुआ। 710 वोट लेकर जयप्रकाश ने सरपंच का चुनाव जीता। जबकि 702 वोट लेकर कृष्णगोपाल दूसरे नंबर पर रहे। यहां सरपंच पद के लिए 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। खैराबाद पंचायत समिति की 23 ग्राम पंचायतों में सातलखेड़ी ग्राम पंचायत की सरपंच शांति देवी को सबसे ज्यादा 3664 वोट मिले। जबकि सलावृदखुर्द ग्राम पंचायत में शांति बाई 310 वोट लेकर सरपंच बनी। यहां हार जीत में 43 वोट का अंतर रहा। यहां सरपंच पद के लिए 13 उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया। ग्राम पंचायत खैराबाद में सरपंच पद के लिए सबसे ज्यादा 21 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। रात भर काउंटिंग चली। चेचट में उर्मिला मालव को मिले सबसे ज्यादा वोट चेचट पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों में सबसे बड़ी जीत सोहनखेड़ा ग्राम पंचायत में हुई।

सरपंच चुनाव की मतगणना के दौरान आरो को आया हार्ट-अटैक, अचानक चक्कर खाकर गिरे, पुलिस टीम रास्ते भर सीपीआर देती रही, मौत

बढ़ते कदम

कोटा। में सरपंच चुनाव की मतगणना के दौरान कूकड़ा खुर्द ग्राम पंचायत के रिटर्निंग ऑफिसर सुरेश मीणा (46) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे कोटा थर्मल में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। शुक्रवार देर रात मतगणना के दौरान अचानक सुरेश मीणा की तबीयत बिगड़ गई। वे चक्कर खाकर नीचे गिर पड़े। पुलिसकर्मियों ने तत्काल सीपीआर देकर उन्हें मोड़क अस्पताल पहुंचाया। वहां से झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के एसआरजी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मोड़क थाना अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया-कूकड़ा खुर्द ग्राम पंचायत में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद देर रात मतगणना चल रही थी। इसी दौरान सुरेश मीणा को हार्ट अटैक आया। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस का इंतजार करने के बजाय पुलिस



सुरेश मीणा

जीप से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। झालावाड़ अस्पताल में भी डॉक्टरों की टीम अलर्ट थी। रात करीब 9 बजे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सीपीआर और इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दो छोटे बच्चों के पिता थे सुरेश सुरेश मीणा मूल रूप से कोटा जिले के कनवास क्षेत्र के लोडाहेड़ा गांव के रहने वाले थे। वर्तमान में कोटा के गिरधरपुरा समृद्धि नगर में रहते थे। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया था। सुरेश के साले भूपेंद्र मीणा ने बताया-सुरेश की पत्नी अनीता गृहणी हैं। उनके दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र 10 और 3 साल है। पुलिस जीप से सुरेश मीणा को अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान पुलिसकर्मी सीपीआर देता रहा। पुलिस जीप से सुरेश मीणा को अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान पुलिसकर्मी सीपीआर देता रहा। तबीयत खराब होने के बावजूद ड्यूटी लगाई सुरेश के भाई बुद्धि प्रकाश ने बताया-मेरे बड़े भाई की पहले से तबीयत खराब चल रही थी। भाभी की भी तबीयत खराब थी। इसकी एप्लीकेशन कलेक्टर को भी दी थी। इसके बावजूद ड्यूटी लगा दी थी। पहले चुनाव में भी ड्यूटी लगाई गई थी।

कोटा में सरपंच चुनाव की काउंटिंग

सेंटर के बाहर लोग जुटे, जीत की उम्मीद में समर्थकों ने पटाखे फोड़े, 47 ग्राम पंचायतों का रिजल्ट

बढ़ते कदम

कोटा। में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में दो पंचायत समितियों में 47 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के लिए 84.82त्न वोटिंग हुई। खैराबाद पंचायत समिति में सबसे ज्यादा 85.17त्न मतदान हुआ, जबकि चेचट पंचायत समिति में 84.51त्न वोट पड़े। देर रात काउंटिंग चलती रही। खैराबाद पंचायत समिति की रिछड़िया ग्राम पंचायत से दीपेंद्र सिंह चुनाव जीतकर सरपंच बने हैं। दीपेंद्र सिंह को 1045 वोट मिले। जबकि 400 वोट लेकर शैलेंद्र कुमार दूसरे नंबर पर रहे हैं। ग्राम पंचायत से हरिमोहन चुनाव जीतकर सरपंच बने हरिमोहन को 937 वोट मिले जबकि राधेश्याम 604 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बुरनखेड़ी ग्राम पंचायत से जयप्रकाश ने सरपंच का चुनाव जीता है। जयप्रकाश को 710 वोट मिले। जबकि 702 वोट लेकर कृष्ण गोपाल दूसरे नंबर पर रहे। जीत की खुशी में समर्थकों ने जुलूस निकाला। जीत की खुशी में समर्थकों ने जुलूस निकाला। खैराबाद ग्राम पंचायत में सरपंच पद की मतगणना शुरू होने से पहले ही केंद्र के बाहर जश्न का माहौल नजर आया। समर्थकों ने अपने प्रत्याशी की जीत की उम्मीद में पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की। जिले में पहले चरण में 4 पंचायत समितियों में 162 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के लिए 78 प्रतिशत वोटिंग हुई। जबकि गिरधरपुरा ग्राम पंचायत में पंच-सरपंच निर्विरोध चुने गए थे। पहले चरण में लाडपुरा पंचायत समिति में 82.61त्न, सांगोद पंचायत समिति में 78.43त्न, इटावा पंचायत समिति में 77.70त्न व सुल्तानपुर पंचायत समिति में 76त्न वोटिंग हुई थी। दो पंचायत समितियों में 47 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के लिए 82.85त्न वोटिंग हुई। दो पंचायत समितियों में 47 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के लिए 82.85त्न वोटिंग हुई। यहां देखे सरपंचों का रिजल्ट जीत की खुशी में समर्थकों ने जुलूस निकाला रिछड़िया ग्राम पंचायत से दीपेंद्र सिंह चुनाव जीतकर सरपंच बने हैं।

केनरा बैंक Canara Bank — केनरा बैंक - शाखा - नोखा बीकानेर

सोने की नीलामी बिक्री सूचना

नीचे दिए गए व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि कई नोटिस दिए जाने के बावजूद वे ऋण खाते की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। इसलिए उनसे अनुरोध है कि वे बकाया राशि और अन्य शुल्क का भुगतान करें और गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को 16.11.2026 को या उससे पहले भुना लें। ऐसा न करने पर, बैंक अपनी प्रक्रिया के अनुसार, बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के और अपनी पूरी इच्छा से, ऋणी के खर्च पर सार्वजनिक नीलामी में उन प्रतिभूतियों को बेच देगा।

क्र. सं.	ऋण की दिनांक	लोन नंबर	ऋणी का नाम एवं पता	बकाया राशि (ऋणी के अन्य ऋणों सहित)
1.	20.05.2025	164071559686	श्री शिवरतन बिश्नोई ढींगसरी, बीकानेर, राज.-334804	रू.80,371.74

• बकाया देनदारी में बदलाव हो सकता है और इसे नीलामी की तारीख पर तय किया जाएगा।
दिनांकः 30.10.2026 प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda — नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा शाखा, जिला-भीलवाड़ा (राज.) मो.नंबर 8094007189, ई-मेल : bhilwa@bankofbaroda.com

परिशिष्ट IV (देखें, नियम 8 (1) अचल संपत्ति के लिए कब्जे का नोटिस

यतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) के अंतर्गत एवं धारा 13(12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी ने मांग नोटिस दिनांक 11.08.2026 को जारी करते हुए ऋणी / सहऋणी - (1) श्री मोहन लाल कोली पुत्र श्री ज्ञानमल कोली, (2) श्रीमती नीमा देवी कोली पत्नी श्री मोहन लाल कोली, पताः- प्लॉट नं. 25/1 (आराजी नं. 1014), शिव नगर, नोबल स्कूल के पास, भीलवाड़ा (राज.) - 311001, को बकाया राशि रूपये 22,97,567/- (अक्षरे रूपये बाईस लाख सत्तानवे हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) दिनांक 11.08.2026 तक (सम्मिलित ब्याज 08.08.2026 तक) एवं आगे के ब्याज व खर्च अतिरिक्त के भुगतान, नोटिस की दिनांक से 60 दिनों के भीतर, करने की मांग की थी।

ऋणियों / बंधककर्ताओं / जमानतदारों द्वारा सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने में असफल होने पर, ऋणी / बंधककर्त्ता / जमानतदारों एवं आमजन को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) व नियम 8(1) के अधीन, अधोहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 27/10/26 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है एवं आमजन को सावधान किया जाता है, कि इस सम्पत्ति बाबत् कोई व्यवहार नहीं करें और किये गए व्यवहार पर बैंक ऑफ बड़ौदा के रूपये 22,97,567/- (अक्षरे रूपये बाईस लाख सत्तानवे हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) दिनांक 11.08.2026 तक (सम्मिलित ब्याज 08.08.2026 तक) एवं उसके पश्चात् ब्याज व खर्च अतिरिक्त की राशि का भार होगा।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण

रिहायशी भूमि एवं भवन प्लॉट नं. 25/1 (आराजी नं. 1014), शिव नगर, नोबल स्कूल के पास, भीलवाड़ा (राज.) में स्थित है जो कि श्रीमती नीमा देवी पत्नी श्री मोहन लाल कोली के नाम से है। जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफीट है। चतुर्सीमाएं :- पूर्व- प्लॉट नं. 24, पश्चिम - प्लॉट नं. 25, उत्तर - अन्य आराजी, दक्षिण - रोड
दिनांक:- 27.10.2026; स्थानः- भीलवाड़ा प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

State Bank of India — तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा; तृतीय तल, मैट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर- 302004, फोन + +91-141 265811, 2657989 +91-141 2657926, 2657921 ई-मेल:- Sbi.18184@sbi.co.in — **मांग सूचना**

सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना नोटिस

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। उक्त नोटिस के अनुसार यदि ऋणी को 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराते है तो ऋण की वसूली बंधक संपत्ति को नीलामी करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामिल न होने के कारण नोटिस की छाया प्रति बंधक संपत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर–अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रूपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा उक्त एक्ट की धारा 13(4) एवं धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूची के अनुसार साम्यिक बंधक संपत्ति का कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि वसूली करने के लिए बैंक प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

क्र. सं.	ऋणी का नाम और पता खाता संख्या	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण	डिमाण्ड नोटिस की तिथि	बकाया राशि दिनांक तक
1.	श्री अमर सिंह पुत्र श्री रतनसिंह; पता- नई आबादी कन्नोज रोड, सावा, जिला. चित्तौड़गढ़, राज-312001; यहां भी:- प्लॉट नंबर-32, बालाजी नगर, ग्राम सामरी, जिला-चित्तौड़गढ़, राज-312001 शाखा:- आदित्यपुरम (10462) खाता संख्या:- 39179360450 (HL)	आवासीय संपत्ति के सभी अंश व हिस्से जिसमें प्लॉट नंबर 32, बालाजी नगर, ग्राम समरी, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में स्थित जो श्री अमर सिंह पुत्र रतन सिंह के नाम से है। कुल क्षेत्रफल: 1190 वर्ग फुट; सीमाएं इस प्रकार हैं: - पूर्व - 20 फुट सड़क, पश्चिम - प्लॉट नंबर 31, उत्तर - 20 फुट सड़क, दक्षिण - कृषि भूमि	30.09.2026 एनपीए की दिनांक 01.04.2026	रू.16,70,537.37 दिनांक 30.09.2026 तक बकाया (29.09.2026 तक ब्याज सहित) + से आगे का ब्याज, आकस्मिक खर्चें एवं लागतें

ऋणी को आगे सलाह दी जाती है कि (1) वे संबंधित शाखा कार्यालय से उक्त मांग नोटिस प्राप्त कर लेवें। (2) वे नोटिस अवधि उपरोक्तानुसार मांग राशि देय ब्याज सहित बैंक में जमा करवा दें अन्यथा उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आगे कार्यवाही की जावेगी। प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 01.11.2026; स्थानः जयपुर भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India — शाखा- Mini (RACPC) चंदेरिया (64180), जिला:चित्तौड़गढ (राज.) शाखा कोड- 64180; ई-मेल:- sbi.64180@sbi.co.in — **मांग सूचना**

सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना नोटिस

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। उक्त नोटिस के अनुसार यदि ऋणी को 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराते है तो ऋण की वसूली बंधक संपत्ति को नीलामी करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामिल न होने के कारण नोटिस की छाया प्रति बंधक संपत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर–अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रूपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा उक्त एक्ट की धारा 13(4) एवं धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूची के अनुसार साम्यिक बंधक संपत्ति का कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि वसूली करने के लिए बैंक प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

क्र. सं.	ऋणी का नाम और पता खाता संख्या	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण	डिमाण्ड नोटिस की तिथि	बकाया राशि दिनांक तक
1.	श्रीमती विनीता सोलंकी पत्नी श्री प्रहलाद सिंह राणावत पता:- राजपूत मोहल्ला, ग्राम नरेला, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.) 312207 शाखा:- मीरा मार्केट (06097), जिला. चित्तौड़गढ़ लैप लोन खाता नं. 42618379802	साम्यिक बंधक आवासीय संपत्ति मकान जिसमें पट्टा नंबर 1, ग्राम-नरेला, ग्राम पंचायत-नरेला, तहसील-चित्तौड़गढ़, जिला-चित्तौड़गढ़ (राजस्थान); क्षेत्रफल:- 4558.75 वर्गफुट; सीमाएँ: पूर्व - सड़क, पश्चिम - मकान सिंह का नोहरा, उत्तर - चावंड सिंह का घर, दक्षिण - सड़क स्वामी का नाम: श्रीमती विनीता सोलंकी, पत्नी श्री प्रहलाद सिंह राणावत	23.10.2026 एनपीए की दिनांक 14.09.2026	रू.26,02,724.00 दिनांक 23.10.2026 तक बकाया (22.10.2026 तक ब्याज सहित) + से आगे का ब्याज व अन्य खर्चें अतिरिक्त

ऋणी को आगे सलाह दी जाती है कि (1) वे संबंधित शाखा कार्यालय से उक्त मांग नोटिस प्राप्त कर लेवें। (2) वे नोटिस अवधि उपरोक्तानुसार मांग राशि देय ब्याज सहित बैंक में जमा करवा दें अन्यथा उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आगे कार्यवाही की जावेगी। प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 23.10.2026; स्थानः चित्तौढ़गड़ इस सूचना से पूर्व की गई कोई भी सरफेसी कार्रवाई, यदि है, तो वापस ली जाती है भारतीय स्टेट बैंक

यूको बैंक UCO BANK — अंचल कार्यालय-अजमेर; प्लॉट नंबर सी-113 और 114, बीके कोल नगर, अजमेर 305001 Email ID: zoajmer.rec@uco.bank.in, Ph.: (0145) 2428106, 2622884

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) सरफेसी नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियो के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगो को और विशेष रूप से उधार लेने वाले और ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा यूको बैंक, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर ई–नीलामी द्वारा निम्नलिखित ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार के बकायों एवं ब्याज एवं खर्चो की वसूली हेतु विक्रय किया जाएगा। नीलामी प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है:–

ई-नीलामी की दिनांक और समयः 17.11.2026 को दोपहर 01.00 बजे से शाम 5:00 बजे तक। संपत्ति निरीक्षण की दिनांकः 16.11.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे के मध्य

प्रतिभूत आस्तियों का विवरण

ऋणी और जमानतदार नाम / पता एवं शाखा का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की सूचना	बकाया राशि
ऋणी:- मैसर्स एमजीएम मार्बल प्रोप. श्री मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास शाखाः I.A. किशनगढ़	औद्योगिक संपत्ति जो श्री मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास के नाम से 11-बी, खसरा नं. 211/05, ग्राम मोरडी-रूपनगढ, किशनगढ.- 305801, राजस्थान में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 694.44 वर्गगज है सीमाएँः उत्तरः 50 फीट सडक़, दक्षिणः इनानी जी की संपत्ति, पूर्वः अन्य प्लॉट, पश्चिमः मैसर्स MGM-A One.	रू. 11,50,000/- रू. 1,15,000/- (जमा धरोहर राशि ईएमडी जमा की अंतिम दिनांक 16.11.2026 को 11:59 बजे) बोली वृद्धि राशि रू. 10,000	30.06.2021	27.07.2022 भौतिक	रू. 13,53,260.65 (खाता संख्या 24160510000892), (दिनांक 31.08.2026 तक का ब्याज सम्मिलित) रू. 70,757.00 (खाता संख्या 24160610004296), (दिनांक 30.06.2026 तक का ब्याज सम्मिलित) को देय भुगतान तक के खर्चे, यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर
ऋणीः मैसर्स दीपक कुमार एंड कंपनी, प्रोपराइटर श्री दीपक कुमार जैन पुत्र श्री जिनेश कुमार जैन, श्रीमती गीता जैन पत्नी श्री दीपक कुमार जैन शाखा- बारां	संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमे औद्योगिक भूखंड प्लॉट नं. 67, ब्लॉक-ई, नाकोड़ा कॉलोनी, बारां, पिन-325205 (राज.) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 875 वर्ग फुट है। यह संपत्ति दिनांक 13.05.1999 की शीर्षक विलेख, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 207, क्रमांक 2012001576, पृष्ठ संख्या 80 के अंतर्गत उप-पंजीयक-II, बारां के कार्यालय में श्री दीपक कुमार जैन पुत्र श्री जिनेश कुमार जैन के नाम पंजीकृत है। सीमाएँ- पूर्वः मकान संख्या 68 पश्चिमः 30 फीट चौडी सडक़ उत्तरः मकान संख्या 66 दक्षिणः मकान संख्या 62	रू. 30,00,000/- रू. 3,00,000/- (जमा धरोहर राशि ईएमडी जमा की अंतिम दिनांक 16.11.2026 को 11:59 बजे) बोली वृद्धि राशि रू. 10,000	15.09.2025	24.04.2026 भौतिक	(खाता सं.11810610006702 & 11810510009116) रू. 37,43,076.39 (रूपये सैतीस लाख तियालीस हजार छिहत्तर एवं उन्तालीस पैसे मात्र) दिनांक 31.10.2026 तक (30.10.2026 तक का ब्याज शामिल) से आगे का ब्याज एवं खर्चे यूको बैंक को देय पूर्ण भुगतान की तारीख 30.09.2026 तक आगे के ब्याज और अन्य खर्चों के सहित
ऋणीः श्री विरेन्द्र प्रजापत पुत्र श्री नाथू कुम्हार एवं श्रीमती रानू प्रजापत पत्नी श्री विरेन्द्र प्रजापत शाखाः- गिंगला	श्री विरेन्द्र प्रजापत पुत्र श्री नाथूलाल प्रजापत के नाम से आवासीय भवन जो आराजी नंबर 1322/423, 1324/413, 412, राजस्व ग्राम-सुरोकागुडा, ग्राम पंचायत बेमला, तहसील-कुराबड़, उदयपुर-313703 में स्थित है और कुल क्षेत्रफल 26910 वर्गफुट है। संपत्ति की सीमाएं:- उत्तरः सड़क, दक्षिणः श्री उदयलाल एवं श्री विरेन्द्र प्रजापत पुत्र श्री नाथू कुमहार व श्रीमती धापू बाई की भूमि, पूर्वः श्री उदयलाल कुमहार की भूमि, पश्चिमः श्री हीरा लाल पुत्र श्री शंकर कुम्हार की भूमि। ज्ञात ऋणभार का विवरणः ज्ञात नहीं।	रू. 37,33,294.50 अर्थात् रू. 37,33,000/- रू. 3,73,300/- ईएमडी जमा अंतिम तिथिः 16.11.2026 रात्रि 11:59 बजे तक बोली वृद्धि राशि रू. 10,000	16.03.2026	08.07.2026 सांकेतिक	(ऋण खाता सं.23700610016077) दिनांक 30.10.2026 तक बकाया राशि रू. 15,82,583.85 (रूपये पन्द्रह लाख बियासी हजार पांच सौ तिरासी एवं पिच्यासी पैसे मात्र) (30.10.2026 तक ब्याज सहित) + दिनांक 30.08.2026 से आगे का ब्याज एवं अन्य व्यय सहित पूर्ण भुगतान की तिथि तक यूको बैंक को देय, वसूली घटाकर यदि कोई हो
ऋणीः श्री उदयलाल कुम्हार पुत्र श्री नाथू कुम्हार एवं श्रीमती मांगी प्रजापत पत्नी श्री उदयलाल कुम्हार शाखाः- गिंगला	आवासीय भूमि एवं भवन जो आराजी नंबर 1320/423, 1327/422, राजस्व ग्राम-सुरोकागुडा, ग्राम पंचायत बेमला, तहसील-कुराबड़, उदयपुर-313703 में स्थित है, कुल क्षेत्रफल 26910 वर्गफुट, जो उप पंजीयक उदयपुर-I, उदयपुर में बही सं. 1, पृष्ठ सं. 16, क्रमांक 202003519100345 दिनांक 10.08.2020 को पंजीकृत है। संपत्ति की सीमाएं:- उत्तरः सड़क, दक्षिणः श्री उदयलाल पुत्र श्री नाथू कुम्हार व श्रीमती धापू बाई की भूमि, पूर्वः श्रीमती धापू बाई की भूमि, पश्चिमः श्री विरेन्द्र पुत्र श्री नाथू कुम्हार की भूमि, ज्ञात ऋणभार का विवरणः ज्ञात नहीं।	रू. 42,05,439.00 अर्थात् रू. 42.05 लाख रू. 4,20,500.00 ईएमडी जमा अंतिम तिथिः 16.11.2026 रात्रि 11:59 बजे तक बोली वृद्धि राशि रू. 10,000	11.08.2025	07.11.2025 सांकेतिक	(ऋण खाता सं. 23700610016091) दिनांक 30.10.2026 तक बकाया राशि रू. 26,12,454.60 (रूपये छब्बीस लाख बारह हजार चार सौ चौवन एवं साठ पैसे मात्र) (31.07.2026 तक ब्याज सहित) + दिनांक 31.07.2026 से आगे का ब्याज एवं अन्य व्यय सहित पूर्ण भुगतान की तिथि तक यूको बैंक को देय, वसूली घटाकर यदि कोई हो।
ऋणी:- मैसर्स शंकर दूध डेयरी (प्रोप. श्री विश्राम पुत्र श्री शंकर लाल) जमानतदारः श्री विश्राम पुत्र श्री शंकर लाल एवं श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री विश्राम शाखाः माकड़वाली	औद्योगिक संपत्ति जो श्री विश्राम कुमावत पुत्र श्री शंकर लाल एवं श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री विश्राम के नाम से खसरा नं. 1591/1, देवगढ रोड, ग्राम थावला, जिला नागौर, राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 2874.53 वर्ग मीटर है। सीमाएँः उत्तरः देवगढ से थावला जाने वाली सडक़ दक्षिणः अन्य भूमि पूर्वः खसरा नं. 1592/2 पश्चिमः खसरा नं. 1591	रू. 1,30,00,000.00 अर्थात् रू. 130.00 लाख रू. 13,00,000.00 ईएमडी जमा अंतिम तिथिः 16.11.2026 रात्रि 11:59 बजे तक बोली वृद्धि राशि रू. 10,000	07.07.2022	18.10.2022 भौतिक	(1) रू. 1,71,66,530.48 (खाता संख्या 31890610001400) 30.10.2026 तक बकाया, जसमें 30.09.2026) तक का ब्याज सम्मिलित; (2) रू. 42,90,269.69 (खाता संख्या 31890510001530), जिसमें 31.08.2026 तक का ब्याज सम्मिलित; (3) रू. 81,61,266.33 (खाता संख्या 31890610002148), जिसमें 30.09.2026

तक का ब्याज सम्मिलित; (4) रू. .2002.00 (खाता संख्या 31890610003510), जिसमें 30.09.2026 तक का ब्याज सम्मिलित; (5) रू. 43,43,097.35 (खाता संख्या 31890610003763), जिसमें 31.08.2026 तक का ब्याज सम्मिलित; कुल बकाया राशिः रू. 3,39,63,165.85 उक्त कुल बकाया यूको बैंक को देय भुगतान तक आगे का ब्याज व अन्य खर्चे

Borrower-1 (MGM Marble): Mr. Pradeep Senior Manager Ph. No.: 94132-06143
Borrower-2 (Deepak Kumar and Company) Mr. Ajeet Singh CM Ph. No. 9230501342 Branch Head Mr. Rakesh Kumar- 92305-01181
Borrower-3 (Virendra Prajapat) Mr. Rohit Ajmera, CM, Ph No: 92305-10126, Recovery Incharge Mr. Bhawani Singh Rathore – M.No. 77750-36693
Borrower-4 (Udai Lal Kumhar) Mr. Rohit Ajmera, CM, Ph No: 92305-10126, Recovery Incharge Mr. Bhawani Singh Rathore – M.No. 77750-36693
Borrower-5 (Shankar Dudh Dairy): Ms. Aparna Goyal, Senior Manager, Ph. No.: 9540816736kत ऋणभार का विवरणः- ज्ञात नहीं। नियम एवं शर्तेः- 1. बिक्री प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम एवं शर्तो के अधीन होगी। बिक्री से संबंधित नियमों व शर्तो की जानकारी दी गई वेबसाईट/वेबपोर्टल i) https://baanknet.com/ ii)https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration पर उपलब्ध है। 2. संपत्ति को ''जैसा है जहां है''तथा ''जैसा है जो भी है'' ''जो कुछ भी है'' के आधार पर विक्रय किया जा रहा है। 3. प्रतिभूत संपत्तियों का उपरोक्त विवरण प्राधिकृत अधिकारी की उत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलती या चूक के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नही होगा। 4. बिक्री अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गई ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://baanknet.com/ के माध्यम से दिनांक 17.11.2026 को दोपहर 01.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक होगी। 5. नीलामी सेवा प्रदाता पीएसबी एलायंस ई-बिक्रय (support.BAANKNET@psballiance.com; संपर्क नं. 8291220220), 6. बैंक एक प्रतिनिधि नियुक्त करने और स्वयं बोली लगाने तथा नीलामी में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है।

दिनांकः 31.10.2026; स्थानः अंचल कार्यालय, अजमेर — प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन 15 दिवस की विक्रय की वैधानिक सूचना — प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक